सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

रण सख्या : 27/2016

1. बरफा बाई पत्नि
2. बृजेश पुत्री
3. मूर्ति पुत्री
4. अंतिमा पुत्री
5. नीतू पुत्री
6. सविता पुत्री
7. हर्षिता पुत्री

स्व0 श्री माणकचंद जाति राठी निवासी बमोरीकलां तह0 मांगरोल

...प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

1. कालूलाल उर्फ कालूसिंह पुत्र मथुरालाल जाति राठी निवासी बमोरीकलां तह0 मांगरोल
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....अप्रार्थीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 188, 53 आर0टी0एक्ट0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील प्रार्थी : श्री के0 के0 सोनी
दायरा दिनांकः 27.06.2016

निर्णय दिनांक : 23.08.2018

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में का संक्षिप्त निर्णय इस प्रकार है कि ग्राम बमोरीकलां में आराजी खसरा नं0 1451 रकबा 0.10 है0 खसरा नं0 1452 रकबा 1.27 है0, खसरा नं0 1453 रकबा 0.19 है0, खसरा नं0 1454 रकबा 0.43 है0, खसरा नं0 1455 रकबा 0.40 है0, खसरा नं0 1456 रकबा 0.71 है0, खसरा नं0 1457 रकबा 0.38 है0 कुल किता 7 रकबा 3.48 है0 स्थित है। जो पैतृक है जो अप्रार्थी कालूलाल उर्फ कालूसिंह को उनके पिता मथुरालाल से विरासत में प्राप्त हुई है। प्रार्थीया कम 1 अप्रार्थी कम 1 की पुत्र वधु है। शेष प्रार्थीगण 2 लगायत 7 अप्रार्थी कम 1 कालूलाल के मृतक पुत्र माणकचंद के वारिसान है। माणकचंद का स्वर्गवास अप्रार्थी कम 1 के जीवनकाल में ही वर्ष 2015 में हो गया था। अप्रार्थी कालूलाल के एक पुत्र मुकेश और है जो जीवित हैं। प्रार्थीगण 1 ता 7 का आराजियात में पैदाईशी हक है। उक्त आराजियात में से प्रार्थीगण 1 ता 7 को माणकचंद की मृत्यु पश्चात अप्रार्थी कम 1 ने प्रार्थीगण के हक हकूक को नकार कर जमीन काश्त करने से मना कर दिया तथा सम्पूर्ण आराजी को बैचान करने की धमकी देदी। जबकि उक्त आराजी में प्रार्थीगण 1 ता 7 का 1/3 हिस्सा निहित है। अतः प्रार्थीगण के हक में विरूद्ध अप्रार्थी कम 1 को अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0 ताफैसला वाद इस आशय की जारी फरमायी जावें कि प्रतिवादी कम 1 ग्राम बमोरी कलां की आराजी खसरा नं0 1451 रकबा

0 खसरा नं0 1452 रकबा 1.27 है0, खसरा नं0 1453 रकबा 0.19 है0, खसरा नं0 1454 रकबा 0.43 खसरा नं0 1455 रकबा 0.40 है0, खसरा नं0 1456 रकबा 0.71 है0, खसरा नं0 1457 रकबा 0.38 है0 ुल किता 7 रकबा 3.48 है0 में प्रार्थीगण के 1/3 हिस्से को काश्त व उपयोग करने में किसी प्रकार की बाधा ना तो स्वयं डाले ना अन्य से डलवायें। तथा उक्त वर्णित आराजियात को दावे के निर्णय तक रहन बैचान दान वसीयत या अन्य प्रकार से प्रभावित ना करें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 212 के तहत प्रकरण दिनांक 27.06.2016 दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण वाबजूद सूचना आज दिनांक तक अनुपस्थित। अतः जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया जाता है। प्रकरण में दिनांक 23.08.2018 को वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री के0 के0 सोनी ने बहस में उन्ही तथ्यो का कथन किया है जिसका उनके द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकन किया गया है।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात व सुनी गयी बहस के आधार पर ग्राम बमोरी कलां की आराजी खसरा नं0 1451 रकबा 0.10 है0 खसरा नं0 1452 रकबा 1.27 है0, खसरा नं0 1453 रकबा 0.19 है0, खसरा नं0 1454 रकबा 0.43 है0, खसरा नं0 1455 रकबा 0.40 है0, खसरा नं0 1456 रकबा 0.71 है0, खसरा नं0 1457 रकबा 0.38 है0 कुल किता 7 रकबा 3.48 है0 आराजी में प्रार्थीगण क्रम 1 ता 7 का 1/3 हिस्सा बनता है अतः अप्रार्थी क्रम 1 कालूलाल उर्फ कालू सिंह प्रार्थीगण के हिस्से आराजी में दखलअंदाजी करता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी क्रम 1 को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाकर आदेशित किया जाता है कि ग्राम बमोरी कलां की आराजी खसरा नं0 1451 रकबा 0.10 है0 खसरा नं0 1452 रकबा 1.27 है0, खसरा नं0 1453 रकबा 0.19 है0, खसरा नं0 1454 रकबा 0.43 है0, खसरा नं0 1455 रकबा 0.40 है0, खसरा नं0 1456 रकबा 0.71 है0, खसरा नं0 1457 रकबा 0.38 है0 कुल किता 7 रकबा 3.48 है0 आराजी को मूल वाद में निर्णय सुनाये जाने तक रहन बैचान ना करें व अन्य किसी प्रकार से मूल स्वरूप से छेड–छाड ना करें एवं प्रार्थीगण का उक्त आराजी में निहित हिस्से में काश्त करने में किसी प्रकार की मदालखत व दलखअंदाजी ना तो स्वयं करने और ना ही अपने प्रतिनिधि से करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।